

गामीण सेवा शिविर-20 232/2025

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज.) -  
(पीठासीन अधिकारी, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अ. त्पोदय सम्बल पखवाडा 2026 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान..... करकडा

दिनांक :- 28/09/2025

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी करकडा व भू-अभिलेख निरीक्षक 32405 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासन की अनुशंघा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार, ग्राम करकडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या 182, 205, 206 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कोइ निम्नलिखित रूप में किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	करकडा	182 205 206 236	भगवती लाल पुंठ उच्छव लाल सा. आजीला	भगवती लाल पुंठ उच्छव लाल सा. देह

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.  
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़  
दिनांक :- 27/09/25

क्रमांक / .....

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, ..... को भेज कर लेख है कि अदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित प्रतिलिपी



पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.  
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़